

कार्यवृत्त

भाकृअप- केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान(ICAR -CIFE), मुम्बई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 100 वीं बैठक, बुधवार, 13 जुलाई 2022 को निदेशक/ कुलपति महोदय, डा रविशंकर सी एन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम अपने स्वागत वक्तव्य में अध्यक्ष महोदय ने, समिति के सदस्यों को, 100 वीं बैठक के साथ ही, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी। और संक्षिप्त स्वागत वक्तव्य दिया।

संयुक्त निदेशक महोदय डा एन पी साहू ने भी समिति सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। 100 वीं बैठक के आयोजन हेतु समिति सदस्यों को बधाई दी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहायक निदेशक(राजभाषा) एवं समिति के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र कुमार धरम ने कार्यसूची पर चर्चा आरंभ की। कार्यसूची पर चर्चा उपरांत, सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय निम्नवत हैं -

(1)अभ्यास आधारित पारंगत प्रशिक्षण के संबंध में - निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि -

- 1- पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कार्मिक अपना समस्त "प्रशासनिक कार्य" यथासंभव हिन्दी में ही करें।
- 2- जिन कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण हेतु, जुलाई-नवंबर 2022 के सत्र में नामित किया गया है, वो सभी कार्मिक प्रशिक्षण पूरा करें, और परीक्षा में अवश्य बैठें।
- 3- जिन प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पूरा तो किया, परंतु परीक्षा में भाग नहीं लिया, उन्हें अनिवार्य रूप से अगले प्रशिक्षण में नामित किया जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि, कार्मिक परीक्षा में अवश्य भाग लें, एवं अच्छे अंको से परीक्षा उत्तीर्ण करें। ताकि वे, प्राप्त प्रतिशत के आधार पर, निर्धारित निम्नलिखित मानदेय (पुरस्कार) भी प्राप्त कर सकें - (1)₹4000/- (2)₹7000/- (3)₹10,000/-

(कार्रवाई- समस्त विभागाध्यक्ष/ अनुभागाध्यक्ष/ प्रभारी (प्रकोष्ठ/एकक) एवं हिन्दी(राजभाषा)अनुभाग)

(2)राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मूल विचारार्थ विषय- निदेशक महोदय ने, 28 जून 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यशाला के प्रतिवेदन के आधार पर, संस्थान मुख्यालय एवं केन्द्रों (कोलकाता, काकिनाड़ा, पवारखेड़ा, रोहतक एवं मोतीपुर) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही बैठकों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से विचार करने की आवश्यकता बताई-

- 1-हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना- विभागों/ अनुभागों एवं प्रकोष्ठों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- 2-राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार करना।
- 3-विभिन्न पुरस्कार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों- हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपिंग/ आशुलिपि प्रशिक्षण आदि के बारे में एवं हिन्दी दिवस/ समारोह के आयोजन इत्यादि के बारे में विचार करना।

- 4-हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाइयाँ हों, उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य करना। संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर जारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।

(कार्रवाई - राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य एवं केन्द्रों के समस्त प्रभारी अधिकारी)

(3) **विभागों/ अनुभागों/ प्रकोष्ठों द्वारा समय पर रिपोर्ट का भेजा जाना** -अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि, वे बैठक के पूर्व, अपने-अपने संबद्ध विभाग/ अनुभाग/ प्रकोष्ठ की तिमाही राजभाषा प्रगति रिपोर्ट, यथासमय भेज दिया करें। ताकि बैठक में पृथक-पृथक एवं समेकित रूप से रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। और राजभाषा कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ जा सके।

(कार्रवाई- समस्त विभागाध्यक्ष/ अनुभागाध्यक्ष/ प्रभारी (प्रकोष्ठ/एकक))

(4)**गृह पत्रिका जलचरी का 26 वां अंक- "नारी विशेषांक"** के रूप में प्रकाशित किया जाना तय हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदय ने उक्त विशेषांक की संपादकीय समिति से आग्रह किया कि, पत्रिका हेतु लेख पर्याप्त संख्या में शीघ्र प्राप्त किए जाएँ, और तदानुसार निश्चित समयावधि में इसे ई- पत्रिका के रूप में अविलंब प्रकाशित किया जाए।

(कार्रवाई- "नारी विशेषांक" संपादकीय समिति" एवं श्री पी के दास, समुतअधि)

(5)**केन्द्रों का स्वतंत्र इकाई के रूप में राजभाषा निरीक्षण-** सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि, संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रों(RC) को भी स्वतंत्र इकाई (संस्थान) मानकर निरीक्षण करती है।

अध्यक्ष महोदय ने इसकी पुष्टि करते हुए समिति सदस्यों को बताया कि, संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उपसमिति की संयोजक डॉ (प्रो.) रीता बहुगुणा जोशी जी के संयोजन में, परिषद(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के संस्थानों एवं केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है। अतः संस्थान के समस्त केंद्र, राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन/ रिपोर्ट, संस्थान के हिन्दी (राजभाषा) अनुभाग को यथासमय भेजें। राजभाषा कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की व्यावहारिक समस्या होने पर, सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री देवेन्द्र कुमार धरम से सहर्ष संपर्क किया जा सकता है। ध्यातव्य हो कि, मुख्यालय द्वारा केंद्र का औचक राजभाषा निरीक्षण भी किया जा सकता है।

(कार्रवाई- सभी केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी एवं हिन्दी(राजभाषा)अनुभाग)

(6)**प्रशासनिक कार्य में सरल हिन्दी का प्रयोग** - माननीय प्रधानमंत्रीजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, केंद्रीय हिन्दी समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रमुख मदों के आलोक में, **अध्यक्ष/ निदेशक महोदय** ने संस्थान एवं केन्द्रों के समस्त कार्मिकों से आग्रह किया है कि, वे अपने "प्रशासनिक कार्य", राजभाषा हिन्दी में करते समय -

- 1- क्लिष्ट तकनीकी शब्दों का प्रयोग कम से कम करें।
- 2-सरल हिन्दी का प्रयोग करें।
- 3-अप्रचलित अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण(transliteration) किया जाए।
- 4-बहुप्रचलित अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग टिप्पण/ आलेखन आदि में किया जाए।


(कार्रवाई- संस्थान मुख्यालय एवं केन्द्रों के समस्त वैज्ञानिक/ अधिकारी एवं कर्मचारी)

(7)**बहुप्रयुक्त प्रशासनिक हिन्दी शब्दों का संकलन एवं वितरण-** निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक कार्यों में बहुतायत में प्रयुक्त होने वाले कुछ चुनिन्दा शब्दों के संकलन एवं कार्मिकों में वितरण हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- श्री देवेन्द्र कुमार धरम, सहायक निदेशक(राजभाषा))

(8)**प्रभावकारी जाँच बिन्दु बनाना एवं प्रभावशाली ढंग से स्थापित करना -**

(अ)- राजभाषा नियम 12 के अनुसार, राजभाषा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों के समुचित रूप से अनुपालन हेतु, उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिन्दु बनाने एवं प्रभावशाली ढंग से स्थापित करने -



तथा -

(ब)- अपर सचिव(डेयर) एवं सचिव(भाकृअनुप) श्री संजय गर्ग द्वारा, 7 जुलाई, 2022 को जांच बिन्दु सम्बन्धी जारी किए निदेश के अनुपालन में -

अध्यक्ष/ निदेशक महोदय ने जांच बिन्दु सम्बन्धी परिपत्र तैयार कर उसे निर्गत करवाने के संबंध में निदेश दिए -

(कार्रवाई- श्री देवेन्द्र कुमार धरम, सहायक निदेशक (राजभाषा))

(9)हिन्दी में वैज्ञानिक विषय पर मौलिक पुस्तक लेखन- अध्यक्ष/ निदेशक महोदय द्वारा अग्रलिखित विषय पर निम्नलिखित वैज्ञानिकों को पुस्तक लेखन हेतु निदेशित किया गया -

- 1 - डा गीतांजली देशमुखे, प्रधान वैज्ञानिक एवं डा सत्यप्रकाश शुक्ला, प्रधान वैज्ञानिक- शैवाल: कुदरत की एक अनोखी देन
- 2 - डा गीतांजलि देशमुखे एवं अन्य विभागों के लेखकीय सहयोग से - विषय विचाराधीन

(कार्रवाई- डा गीतांजलि देशमुखे, प्रधान वैज्ञानिक, डा एस पी शुक्ला, प्रधान वैज्ञानिक, अन्य विभागों का लेखकीय सहयोग एवं हिन्दी(राजभाषा) अनुभाग)

(10)निर्धारित समय में अनुवाद कार्य करना एवं तत्संबंधी कार्य का रिकॉर्ड रखना - अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी अनुवाद अधिकारियों को निदेशित किया कि, वे छात्र शोध सारांश(Abtract) एवं वैज्ञानिकों आदि द्वारा अनुवाद हेतु दी गई सामग्री का यथासमय अनुवाद करें। किए गए अनुवाद कार्य का रिकॉर्ड भी रखें।

(कार्रवाई - श्री पी के दास, समुतअधि एवं श्रीमती रेखा नायर, समुतकअधि)

निदेशक महोदय की अनुमति से अन्य विषय -

(11) संस्थान के नए परिसर की टी वी स्क्रीन पर चलने वाले 'आज के शब्द' को पुनः आरंभ किया जाए। इस बात की भी आश्चस्ति की जाए कि, उस पर राजभाषा/ (सरकारी कामगाज की भाषा/ प्रशानिक कार्य) सम्बन्धी शब्द ही चलाए जाएँ।

(कार्रवाई - प्रभारी, आई सी टी एवं सहायक निदेशक(राजभाषा))

(12) अध्यक्ष/ निदेशक महोदय ने अधिष्ठाता (शैक्षिक) एवं परीक्षा नियंत्रक को, संबद्ध क्षेत्रों के प्रपत्रों, प्रमाण पत्रों, आदर्श पत्रकों (templates) आदि को द्विभाषी तैयार किए जाने हेतु निदेशित किया।

(कार्रवाई - अधिष्ठाता (शैक्षिक), परीक्षा नियंत्रक एवं हिन्दी अनुभाग)

(13) संयुक्त निदेशक महोदय ने संस्थान की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों, गतिविधियों एवं शैक्षिक/ अनुसंधान की विवरणिका, त्रैमासिक, मत्स्य दर्पण के (अप्रैल-मई-जून) अंक के पूर्णतः द्विभाषी रूप में, अविलंब, ई - प्रकाशन हेतु निर्देशित किया।

(कार्रवाई - डा आर पी रमण, प्रधान वैज्ञानिक एवं श्री पी के दास, समुतअधि)

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने, समिति की 100 वीं बैठक हेतु सभी समिति सदस्यों को पुनः बधाई दी, एवं राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और सघन प्रयास किए जाने पर बल दिया।

बैठक, अध्यक्ष महोदय एवं समिति सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।


राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 100वीं बैठक में उपस्थित

समिति सदस्यों की सूची -
(बुधवार, 13 जुलाई, 2022)

क्र.सं	नाम	पद
1.	डा.रविशंकर सी. एन.	निदेशक / अध्यक्ष
2.	डा. एन. पी. साहू	संयुक्त निदेशक
3.	डा. के. वी. राजेन्द्रन	विभागाध्यक्ष
4.	डा. एस. एन. ओझा	विभागाध्यक्ष
5.	डा. सुबोध गुप्ता	विभागाध्यक्ष
6.	डा गीतांजलि देशमुखे	प्रधान वैज्ञानिक
7.	डा. एस. पी. शुक्ला	प्रधान वैज्ञानिक/प्रभारी, आई.सी.टी.सेल
8.	डा. नरेश एस. नागपुरे	प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी - पुस्तकालय
9.	डा. आशुतोष देव	प्रधान वैज्ञानिक/परीक्षा नियंत्रक
10.	श्री बी. एल. कोकुला	वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी
11.	श्री रजनीश कुमार सिंह	वित्त प्रमुख(नियंत्रक)
12.	श्रीमती रेखा नायर	सहायक मु तक अधि
13.	श्री देवेन्द्र कुमार धरम	सहायक निदेशक (राजभाषा) सदस्य सचिव

नोट - अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। यदि अपरिहार्य (most urgent) कारणवश समिति सदस्य उपस्थित न हो पाएँ तो, अपने स्थान पर, अपने प्रतिनिधि को बैठक हेतु अनिवार्यतः नामित करें।


सहायक निदेशक(राजभाषा)


वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी


अध्यक्ष/ निदेशक